(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी 2,3 व 7 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी 9 का जवाब अवसर बन्द किया जाता है। बहस अपपक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र धारा 212 R.T. Act दि. 27/01/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 03/1/25	
27/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र 212 RT Act सपठित आदेश 39 नियम 1 & 2 CPC के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। धारा 212 RT Act के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिए इसे निम्न तीन बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है :- (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- आवेदक प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि ग्राम ताल पटवार हल्का कनवाड़ी की वाडगतत आराजी ख० न० 240/217 रकबा 0.7588 hec प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजी है। प्रार्थी की उक्त आराजी ख० न० 240/212 के दक्षिण दिशा मे अप्रार्थीगण की आराजी ख० न० 216 रकबा 2.1499 hec स्थित है। प्रार्थी की भूमि की लगवा ख० न० 216 का [illegible] हिस्सा है। अप्रार्थीगण ने बिना [illegible] के जबरन बलपूर्वक प्रार्थी की भूमि [illegible] 0.1260 hec भाग पर कब्जा [illegible] करते रहते है। उक्त करीब 0.1260 hec हिस्से को हांक-जोत कर अपने खेत मे मिलाने पर आमादा है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.02.05 17:31:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अभि० अप्रार्थीगण द्वारा उक्त बहस का विरोध कर कथन किया कि अप्रार्थीगण विगत 50 वर्ष से मौके पर यथावत काबिज चले आ रहे हैं। विगत 5-10 वर्षों में कोई भी नया कब्जा नहीं किया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि के मध्य मेड़/बाड़े - बड़े पेड़ लगे हुए हैं। अत: प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

बहस उभयपक्ष के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम ताल हल्का कनवाड़ी की जमाबंदी संवत 2072-75 के अनुसार वादग्रस्त आराजी ख० नं० 240/217 रकबा 0.7588 hec. प्रार्थी के खाते दर्ज रिकार्ड है जबकि ख० नं० 216 रकबा 2.1499 hec अप्रार्थीगण व अन्य की सह-खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा पेश खसरा नक्शा (ग्राम ताल) दिनांक 10/7/2023 से स्पष्ट है कि ख० नं० 240/217 के दक्षिण में लगता ख० नं० 216 है। प्रार्थी द्वारा पेश स्वयं के सीमाज्ञान आवेदन दिनांक 08/05/2023 एवं पटवारी हल्का की ख० नं० 240/217 की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 06/05/2023 के अवलोकन से जाहिर है कि सीमाज्ञान किया गया था लेकिन कोई कब्जा हस्तांतरण नहीं किया गया। प्रार्थी की भूमि पर किसी का कब्जा पाया गया या नहीं - यह अस्पष्ट नहीं है। स्वयं अप्रार्थीगण ने अपने जवाबप्रार्थनापत्र में भी प्रार्थी की भूमि पर 50 वर्षों से कब्जा होना स्वीकार किया है। अत: उपरोक्त विवेचना [illegible] पर प्रकरण प्रथम दृष्टया [illegible] पक्ष में साबित है।

(ब) सुविधा [illegible] वादग्रस्त भूमि ख० नं० 240/217 के दक्षिण भाग रकबा 0.1260 hec पर अप्रार्थीगण ने अपना कब्जाकाश्त होना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.02.05 17:31:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

3

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	स्वीकार किया है। अप्रार्थीगण ने यह कब्जा विगत 50 वर्षों से होना बताया है लेकिन इसके समर्थन में कोई भी documentary or oral evidence पेश नहीं किया है। अप्रार्थीगण यह साबित नहीं कर सके है कि उनका यह कब्जा अवैध नहीं होकर, वैध है, शांतिपूर्ण एवं सर्वज्ञात है। अतः बिना किसी Lawful Authority के कब्जा होने को वैध (legally valid) नहीं ठहराया जा सकता है। अतः प्रार्थी के पक्ष में stay order जारी करने पर प्रार्थी को अधिक सुविधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है।	
	(स) अपूरणीय क्षति :- प्रार्थी Recorded Khatedar tenant है और अप्रार्थीगण का इसके उक्त भाग पर कब्जा किसी lawful authority के आधार पर साबित नहीं होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है।	
	उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रा०पत्र u/s 212 RT Act r.w. 039 182 CPC स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताकीदसमुमवाद इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम ताल की वादग्रस्त आराजी ख०नं० 240/217 पर बेदखल कब्जाकाश्त नहीं करें। प्रकरण ... ... प्रकरण फैसला शुमार होकर ... मय मुसलवाद के साथ ...	
	Signature Not Verified Digitally signed by Dinesh Kumar Meena Date: 2025.02.05 17:31:24 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़	